समाहरणालय, वैशाली, (हाजीपुर)

(जिला पंचायत कार्यालय)

बिहार सरकार

Email Id :- dpro-va-bih@nic.in   दूरभाष संख्या :- 06224-260085

आदेश

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-3प/विविध-17-20/2018-4046/ पं0रा0 पटना, दिनांक-25.07.2018 में दिये गये निदेश के आलोक में जिला स्तरीय नियोजन समिति की बैठक दिनांक-10.01.2020 में लिए गए निर्णय के आधार पर तकनीकी सहायक के 72 स्वीकृत पद के विरुद्ध कुल 44 अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के सत्यापन के उपरान्त चयनित किया गया था। 44 अभ्यर्थियों में से 37 अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत कार्यालय, वैशाली में योगदान दिया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली द्वारा 11 (ग्यारह) तकनीकी सहायक अभ्यर्थियों के विभिन्न संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के सत्यापन के प्रतिवेदन के आधार पर नियोजन करते हुए निम्नवत प्रखंडों में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0सं0	पी.आर.डी. संख्या	नाम	पिता का नाम	गृह प्रखंड	आंवटित प्रखंड कार्यालय
1	14	मो0 अतहर ईमाम अंसारी	अब्दुल वहाब अंसारी	हाजीपुर	महुआ
2	15	मो0 दिलशाद	मो0 बबलू	पटना	बिदुपुर
3	16	मो0 दानिश आलम	मो0 हसीब	पटना	जन्दाहा
4	18	राकेश कुमार सिंह	अरुण कुमार सिंह	देसरी	हाजीपुर
5	19	सतीश कुमार	उपेंद्र प्रसाद यादव	पिपरा (सुपौल)	वैशाली
6	34	समीर	नन्दू लाल गुप्ता	पटना	सहदेई बुजुर्ग
7	40	मो0 जहीर आलम	मो0 अब्दुल कलाम	चेहराकलां	राजापाकर
8	42	दिपेश कुमार	सुरेन्द्र प्रसाद साह	हाजीपुर	राघोपुर
9	88	सविता रानी	राजकुमार शर्मा	दिल्ली	चेहराकलां
10	108	केशव कुमार	कमलेश्वरी पाण्डेय	भगवानपुर	राघोपर
11	118	सुधीर कुमार रंजन	केशव दास	हाजीपुर	गोरौल

उपरोक्त तकनीकी सहायक का चयन/नियोजन निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है :-

1. उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों का चयन सर्शत दिनांक-31 मार्च 2022 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर सरकार के निदेश के आधार पर ही अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
2. आवंटित मुख्यालय में आवासन अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त सभी अभ्यर्थी अपने सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक-08.07.2021 तक जिला पंचायत कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

4 यह नियुक्ति उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये संबंधित प्रमाण पत्रों के आधार पर की जा रही है। यदि प्रमाण पत्रों की जाँच में किसी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी पायी जाती है, तो नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं तदनुसार नियमसंगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

5 प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।

6 जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

7 इस कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगी।

8 मानदेय :- इस कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल तकनीकी सहायक को 27,000/- रूपया प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा।

9 मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न हीं सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवकों में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

10 संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला पंचायत कार्यालय के द्वारा मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

11 मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

12 इस प्रकार नियोजित तकनीकी सहायकों को पंचायत/प्रखंड का आवंटन/स्थानांतरण अधोहस्ताक्षरी के आदेश के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली द्वारा किया जाएगा।

13 तकनीकी सहायक के पद पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC संख्या-21651/18 एवं इससे टैग वादों में दिनांक-06.12.2019 को पारित आदेश पर विद्वान महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायक के पद पर इस शर्त के साथ संविदा के आधार पर नियोजन किया जाता है कि वर्णित CWJC/वादों में पारित होनेवाले अंतिम आदेश के फलाफल से यह नियोजन प्रभावी होगा तथा उन्हें किसी प्रकार का बराबरी का दावा मान्य नहीं होगा।

14 नियोजित अभ्यर्थियों को नियोजन के उपर्युक्त शर्तो के मानने संबंधी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली के साथ एकरारनामा एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

तकनीकी सहायक के निम्नवत् दायित्व होंगे :-

- तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा क्रियावित होने वाले कार्यों का प्राक्कलन बनाना एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

- तकनीकी अनुश्रवण, मापी-पुस्तिका का संधारण, ऑनलाईन रिर्पोटिंग प्राक्कलन की विशिष्टयों के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक- 1225 / जिला पं0, दिनांक- 03/7/21.

प्रतिलिपि- सभी चयनित तकनीकी सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला आई.टी. प्रबंधक, वैशाली/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के अधिकारिक बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/21
जिला पदाधिकारी,
वैशाली।